

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/ 9937
जिला आयुर्वेद अधिकारी (निम्नानुसार)

दिनांक: 19.5.17

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों हेतु मशीनरी/उपकरण कय बजट आवंटन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपको आपके जिले में संचालित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों हेतु मशीनरी/उपकरण कय बाबत बजट मद 2210-02-200-02-00-18 मशीनरी और साज सामान/औजार एवं सयंत्र के अन्तर्गत निम्नानुसार बजट आवंटित किया जा रहा है। तदनुसार आवंटित बजट का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करावें।

क्र.स.	कार्यालय कोड	आहरण वितरण अधिकारी	योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान केन्द्र का नाम जिसके संचालन हेतु बजट आवंटित किया जा रहा है।	(राशि रु. लाखों में)
1	16945	जि.आ.अ. भीलवाडा	राज. जिला आयु. चिकित्सालय भीलवाडा	18 मशीनरी और साज सामान/औजार एवं सयंत्र
2	12439	जि.आ.अ. प्रतापगढ	राज. आयु. चिकित्सालय प्रतापगढ	1.00
3	5927	जि.आ.अ. भरतपुर	राज. आयु. चिकित्सालय भरतपुर	1.00
4	4386	जि.आ.अ. बूंदी	राज आयु. चिकित्सालय बूंदी	1.00
5	9770	जि.आ.अ. बांसवाडा	राज जिला आयु. चिकित्सालय बांसवाडा	1.00
योग				5.00

नोट:-

- उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे। बजट आवंटन उपलब्ध राशि के सीमान्तर्गत किया गया है।
- प्रावधित राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमान्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावें। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
- नियमानुसार कय समिति का गठन किया जावे, जिसमें लेखाकर्मी व सम्बन्धित योग एवं प्राकृतिक केन्द्र प्रभारी को सदस्य मनोनित किया जाकर कय की कार्यवाही की जावें।
- कय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि जि.आ.अ. कार्यालय में की जाकर सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को सामग्री इश्यू की जावे।
- सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जावे।

क्रमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/ 9937

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1-उपनिदेशक आयुर्वेद जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा

2-प्रभारी सांख्यिकी शाखा, कार्यालय हाजा

3-लेखा-4 अंक मिलान शाखा निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

4-प्रभारी कम्प्यूटर शाखा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

वित्तीय सलाहकार

दिनांक: 19.5.17

वित्तीय सलाहकार